प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **24/2026** (अपील सूचना का अधिकार)

Devnarayan Meena Add: G-4, Jai Shreeram Apartment, sector 14, Hiran Magri, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर

...................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18/02/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329752434414111 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 2354245833 दिनांक 13.01.2026 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/24/26/86–87 दिनांक 13.01.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर ने जरिये पत्राक प. /41/2/सू.अ/प्र.अ.स./24/26/97–98 दिनांक 22.01.2026 से प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 11.12.2025 को ऑनलाईन आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया। जिसमें बिन्दु संख्या 1 से 11 की सूचना चाही गई। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध राजस्व अनुभाग से होने से इस कार्यालय के पत्रांक 1224 दिनांक 15.12.2025 से पत्राचार किया गया। राजस्व अनुभाग द्वारा पत्रांक 44 दिनांक 06.01.2026 से बिन्दु संख्या 1 की ही सूचना उपलब्ध करवाई गई एवं शेष बिन्दु इस अनुभाग से संबंधित नहीं होना बताया गया। उक्त सूचना प्राथीर्र को इस कार्यालय के पत्रांक 8301336794 दिनांक 12.01.2026 से ऑनलाईन उपलब्ध करवाई गई। उक्त प्रार्थना पत्र का संबंध सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर से होने से कार्यालय के पत्रांक 90–91 दिनांक 21.01.2026 से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उक्त कार्यालय को अंतरित कर दिया गया एवं उक्त अंतरण से प्राथ्री को भी सूचित कर दिया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जिला कलक्टर कार्यालय में उपलब्ध सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई एवं शेष बिन्दु के संबंध में सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर को अंतरित किया गया। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने का श्रम करावें।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर द्वारा जरिये पत्रांक 8301336794 दिनांक 12.01.2026 से प्रत्यर्थी से संबंधित वांछित सूचना अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। शेष सूचना प्रत्यर्थी से संबंधित नहीं होने से प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को जरिये पत्रांक 90–91 दिनांक 21.01.2026 से सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर को अंतरित किया गया। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18-02-26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर